

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-विविध-18/2016-

4406

/कृ., पटना, दिनांक

18/10/

2016

MAIL/FAX प्रेषक,

रामजी सिंह  
सरकार के विशेष सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, कृषि / उद्यान / भूमि संरक्षण / पी०पी०एम०बिहार, पटना / अपर निदेशक, (शष्प) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्प) / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) / संयुक्त निदेशक (शष्प) - सह-नियंत्रक, माप एवं तौल / संयुक्त निदेशक, (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्प) पाट पूर्णियाँ / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र / उप निदेशक (शष्प) शिक्षा, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज विश्लेषण, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) बीज तेलहन, बिहार, पटना / उप निदेशक (शष्प) सूचना, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक कृषि अभियंत्रण / सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण / संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट / बायोगैस बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण प्रयोगशाला / उप निदेशक (शष्प) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी मुजफ्फरपुर - सह-प्रचार्य / सभी सहायक निदेशक (शष्प) बीज विश्लेषण प्रयोगशाला / सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) / सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला / संयुक्त निदेशक (शष्प) शिक्षा - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय / सहायक सांख्यिकीज्ञ - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग / लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर 2017 तक हुए व्यय का प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- महालेखाकार बिहार, पटना का अर्धसरकारी पत्र संख्या:-TM (2016-17)1951 दि०-15.09.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के तहत सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सत्यापन का कार्य समय पर नहीं कराया जाता है। इसलिए इस कार्य के लिए मुख्यालय स्तर से एक सहायक को प्रत्येक महीने के 26 तारीख से अगले महीने के 10 तारीख तक महालेखाकार, बिहार कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय विवरणी टी०भी०नं० के साथ मांग की गई है ताकि समेकित रूप से सत्यापन का कार्य कराया जा सके।

अतएव अनुरोध है कि मुख्यालय से महालेखाकार, बिहार, पटना कार्यालय में प्रतिनियुक्त श्री नौशाद रिजवी सां० सहायक के साथ अपने कार्यालय में हुए व्यय के आँकड़ों के साथ प्रत्येक महीने के 26 तारीख से अगले महीने के 10 तारीख के बीच किसी दिन संबंधित कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए ताकि समेकित रूप से सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो सके। श्री नौशाद रिजवी का मोबाईल नं०-9431887373 है। प्रत्येक महीने के 26 तारीख से अगले महीने के 10 तारीख तक में किसी भी दिन सत्यापन दल को महालेखाकार, बिहार, पटना कार्यालय में प्रतिनियुक्त करके सत्यापन कराया जाए।

विश्वरामराजान

(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4406

/कृ., पटना, दिनांक

18/10/

2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्प) सूचना/आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।